रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082020-221336
CG-DL-E-25082020-221336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2533] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2020/भाद्र 3, 1942
No. 2533] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2020/BHADRA 3, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2020

सं. 29/2015–2020

विषयः पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट/मॉस्क की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 2860(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट/मास्क के निर्यात के संबंध में आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति 2018 की अनुसूची 2 का संशोधन करने वाली **दिनांक 28.07.2020 की अधिसूचना सं. 21** में निम्नानुसार संशोधन करती है:–

क्रम सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
		किट के भाग के रूप में या अलग–अलग मदों के रूप में निर्यातित निम्नलिखित पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई)–		
207 क	901850	1. सभी वर्ग/श्रेणियों के मेडिकल कवर–ऑल	**मुक्त**	**पीपीई मेडिकल कवर–ऑल मुक्त रूप से निर्यात योग्य हैं।**

	901890 9020 392690 621790 630790	2. मेडिकल गॉगल्स	प्रतिबंधित	मेडिकल गॉगल्स के 20 लाख इकाई का मासिक निर्यात कोटा
		3. एन 95/एफएफपी 2 मास्क या इसके समतुल्य	**प्रतिबंधित**	**50 लाख इकाई का मासिक निर्यात कोटा**
		4. सभी मास्क (एन 95/एफएफपी 2 मास्क या इसके समतुल्य को छोड़कर)	**मुक्त**	**सभी मास्क (एन 95/एफएफपी 2 मास्क या इसके समतुल्य को छोड़कर) मुक्त रूप से निर्यात योग्य है।**
		5. नाईट्राइल/एनबीआर ग्लोव्स	निषिद्ध	
		6. फेस शील्ड्स	मुक्त	फेस शील्ड मुक्त रूप से निर्यात योग्य है।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

दिनांक 28.07.2020 की अधिसूचना सं. 21 को इस सीमा तक संषोधित किया गया है कि 2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, सभी वर्ग और श्रेणियों के मेडिकल कवर–ऑल (कोविड–19 हेतु मेडिकल कवर–ऑल सहित) की निर्यात नीति को ''प्रतिबंधित'' से संशोधित करके ''मुक्त'' श्रेणी किया गया है और ये कवर–ऑल (सभी प्रकार के गाऊन और एप्रन सहित) अब मुक्त रूप से निर्यात योग्य है। मेडिकल गॉगल्स 20 लाख इकाई मासिक निर्यात कोटा के साथ प्रतिबंधित श्रेणी में बने रहेंगे और नाईट्राइल/एनबीआर ग्लोव्स निषिद्ध बने रहेंगे।

एन 95/एफएफपी 2 मास्क या इसके समतुल्य मास्क की निर्यात नीति ''निषिद्ध'' से संशोधित करके ''प्रतिबंधित'' श्रेणी की गई है। ट्रेड नोटिस में अलग से जारी किए जाने वाले मानदंड के अनुसार पात्र आवेदकों हेतु निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए एन–95/एफएफपी 2 मास्क या इसके समतुल्य मास्क हेतु 50 लाख इकाई प्रति माह का मासिक निर्यात कोटा निर्धारित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/21/एएम–20/ईसी/ई–21933]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2020

No. 29/2015-2020

Subject: - Amendment in Export Policy of Personal Protection Equipment/Masks

S.O. 2860(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the **Notification No. 21 dated 28.07.2020** amending the Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy 2018 related

Serial Number	ITC HS Codes	Description	Export Policy	Policy Condition
		Following Personal Protection Equipments (PPEs) exported either as part of kits or as individual items -		
	901850	1. Medical Coveralls of all Classes/Categories		**PPE medical coveralls are freely exportable.**

207 A	901890 9020 392690 621790 630790		**Free**	
		2. Medical Goggles	Restricted	Monthly export quota of 20 Lakh units of Medical Goggles
		3. N95/FFP2 masks or its equivalent	**Restricted**	**Monthly export quota of 50 Lakh units**
		4. All masks (Except N95/FFP2 masks or its equivalent)	**Free**	**All masks (except N95/FFP2 masks or its equivalent) are freely exportable**
		5. Nitrile/NBR Gloves	Prohibited	
		6. Face Shields	Free	Face Shields are freely exportable

2. **Effect of this Notification:**

Notification No. 21 dated 28.07.2020 is amended to the extent that the export policy of 2/3 Ply Surgical masks, medical coveralls of all classes and categories (including medical coveralls for COVID-19) is amended from "Restricted" to "Free" category and these coveralls(including gowns and aprons of all types) are now freely exportable. Medical goggles continue to remain in restricted category with monthly quota of 20 Lakh units and Nitrile/NBR gloves continue to remain prohibited.

The export policy of N-95/FFP2 masks or its equivalent masks is revised from "Prohibited" to "Restricted" category. A monthly export quota of 50 lakh units has been fixed for N-95/FFP2 masks or its equivalent, for issuing export licenses to eligible applicants as per the criteria to be separately issued in a Trade Notice.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC/E-21933]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA